रजिस्ट्री सं० डी०—(डी०)—73 REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 1981 (फाल्गुन 2, 1902)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21, 1981 (PHALGUNA 2, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 3
[PART III—SECTION 3]
लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Minor Administrations]

दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
दादरा और नगर हवेली प्रशासन

सिलवास, दिनांक 27 जून 1980

सं० प्रशा०/विधि/242/26/80—प्रशासक, दादरा और नगर हवेली, बालक अधिनियम, 1960 की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दादरा और नगर हवेली बालक नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), का निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम दादरा और नगर हवेली, बालक (संशोधन) नियम, 1980 है।

2. मूल नियम के नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

परन्तु सुपुर्दगी की अवधि के दौरान किसी भी समय संबंधित ऐसे केंद्र या संस्था के जहां बालक को निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया है, अधीक्षक के ऐसे माता-पिता या संरक्षक की वित्तीय स्थिति के संबन्ध में जो बालक या किशोर अपराधी के भरणपोषण के लिये उत्तरदायी है, वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति पर न्यायालय द्वारा ऐसे आदेशों का पुनर्विलोकन और उपान्तरण किया जा सकेगा।

3. मूल नियम के नियम 6 में,

(क) उपनियम (1) में "15 दिन" अंक और शब्द के स्थान पर "30 दिन" अंक और शब्द रखें जायेंगे।

(ख) उपनियम (1) में एक सप्ताह, शब्दों के स्थान पर "15 दिन" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

(ग) उपनियम (3) में "छह सप्ताह" शब्दों के स्थान पर "आठ सप्ताह" शब्द रखे जायेंगे।

4. मूल नियम के नियम 7 में :—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

ऐसे पुलिस आफिसर उस बालक के लिये जिसे सरकारी अस्पताल में भर्त्ती किया गया है, एक परिचर की व्यवस्था भी करेगा।

5. मूल नियम के नियम 8 में, "ऐसे अन्य साक्ष्य" शब्दों के स्थान पर विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाणपत्र, आदि जैसे "अन्य साक्ष्य" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल नियम के नियम 10 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम 11 अन्त. स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

11. पश्चातवर्ती देखरेख गृह की स्थापना और मान्यता:—

(1) प्रशासक विशेष विद्यालयों और बालक-गृहों से उन्मोचित बालकों को रखने के लिये, और उन्हें ईमानदार, परिश्रमी और उपयोगी जीवन बिताने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ उतने देखरेख गृह स्थापित कर सकेगा और बनाये रख सकेगा जितना आवश्यक हो।

2. जहां प्रशासक की यह राय है कि नियम 2 के उप-नियम (3), (4) (5) और (6) के अधीन स्थापित संस्था से भिन्न कोई संस्था बालक गृहों और विशेष विद्यालयों से वहां भेजे जाने वाले बालकों को रखने के लिये ठीक है, वहां वह ऐसी संस्था को इन नियमों और अधिनियम के प्रयोजन के लिये पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के रूप में प्रमाणित कर सकेगा।

(3) ऐसा प्रत्येक पश्चात्वर्ती देखरेख गृह, जिसे इन नियमों के अधीन कोई बालक भेजा जाता है, बालक के लिये बाल-सुविधा, भरणपोषण और शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं की ही व्यवस्था नहीं करेगा अपितु उसे उस के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिये उसके चरित्र और योग्यताओं के विकास के लिये भी सुविधायें देगा और ऐसी सुविधाएं भी देगा जो उसे ईमानदारी परिश्रमी और उपयोगी जीवन बिताने के लिये समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों और वह ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर विहित किये जाएं।

4. किसी पश्चातवर्ती देखरेख गृह को भेजे जाने वाले बालक की आयु लड़कों की दशा में 16 वर्ष और लड़कियों की दशा में 18 वर्ष से कम नहीं होगी।

5. यथास्थिति, बालक गृह या विशेष विद्यालय से उन्मुक्त किये जाने और किसी पश्चातवर्ती देखरेख गृह में भेजे जाने से पूर्व परिवीक्षा अधिकारी या बालक गृह या विशेष विद्यालय का केस बर्कर ऐसे बालक की पश्चात्वर्ती देखरेख की आवश्यकता और प्रकृति, ऐसी पश्चातवर्ती देखरेख (गृह का केस बर्कर) की अवधि और उसके पर्यवेक्षक के सम्बंध में रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे प्रस्तुत करेगा। परिवीक्षा अधिकारी या पश्चातवर्ती देखरेख गृह का केस बर्कर ऐसे प्रत्येक बालक की कालिक प्रगति रिपोर्ट अधीक्षक को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर विहित किया जाए।

प्रशासक के आदेश से,

दिनांक 7 दिसम्बर 1979

सं० प्रशा०/विधि/242/39/79—प्रशासक, दादरा और नगर हवेली, बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) की धारा 59 की उपधारा (1) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखिति नियम बनाते हैं, अर्थात:—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दादरा और नगर हवेली बालक नियम, 1979 है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर होगा और ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत होंगे।

(2) निर्वचन :—

इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो।

(1) "अधिनियम" से बालक अधिनियम, 1960 (1960 का संख्यांक 60) अभिप्रेत है।

(2) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(3) "बालक गृह" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के संबन्ध में प्रशासक, दादरा और नगर हवेली द्वारा यथा प्रमाणित दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के उपेक्षित बालकों के लिये नवसारी स्थित प्रतिप्रेषण गृह और "सूरत" स्थित प्रमाणित विद्यालय अभिप्रेत तक है, देखिये अधिसूचना सं० प्रशा०/विधि/207 (II) तारीख 30-12-69।

(4) "बालक कल्याण बोर्ड" से नवसारी, जिला बलसाड़ स्थित किशोर न्यायालय अभिप्रेत है जिसे दादरा और नगर हवेली राज्य क्षेत्र के लिए बालक कल्याण बोर्ड अधिसूचित किया है, देखिए अधिसूचना में सं० प्रशा० विधि 207/ (I), तारीख 30-12-1969 है।

(5) "सम्प्रेक्षण गृह" से दादरा और नगर हवेली के संबन्ध में, दादरा और नगर हवेली के प्रशासक द्वारा मान्यता प्राप्त नवसारी जिला बलसाड़ स्थित प्रतिप्रेषण गृह अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन किसी जांच के निलम्बित रहने के दौरान बालकों को अस्थायी रूप से रखने के लिये "सम्प्रेक्षण गृह" के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए अधिसूचना सं० प्रशा०/ विधि/207(III) तारीख 30-12-1969।

(6) "विशेष विद्यालय" से दादरा और नगर हवेली के संबन्ध में सूरत स्थित प्रमाणित विद्यालय अभिप्रेत है जिसे दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की अधिसूचना सं० प्रशा०/विधि/207/ (I) तारीख 30-12-1979 द्वारा अधिनियम के अधीन उपचारी बालकों के रखने के लिये "विशेष विद्यालयों" के रूप में प्रमाणित किया गया है।

(3) गिरफ्तारी के पश्चात् जमानत पर न छोड़े गये किशोरों का निरुद्ध किया जाना :—

यदि कोई बालक गिरफ्तार किया जाता है और धारा 18 (1) के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उसे प्रमाणित विद्यालय में या सुरक्षित स्थान पर निरुद्ध किया जायेगा यदि कोई सुरक्षित स्थान या प्रमाणित विद्यालय उपलब्ध नहीं है तो ऐसे बालक को पुलिस थाने में निरुद्ध किया जाएगा और प्रत्येक दशा में उसे व्यस्क कैदियों से अलग रखा जायेगा।

परन्तु यदि बालक लड़की है तो ऐसी लड़की को यथा-संभव कम विलम्ब करते हुए, महिला पुलिस आफिसर के साथ ऐसे न्यायालय में भेजा जाएगा जिसे धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। गिरफ्तारी और निरोध के तथ्य बालक के माता-पिता या संरक्षक को और अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायालय के परिवीक्षा अधिकारी को भी तुरन्त संसूचित किये जाएंगे।

(4) माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा अभिदाय :

(1) अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने वाला न्यायालय बालक के भरणपोषण के उत्तरदायी माता-पिता या अन्य व्यक्ति को, न्यायालय में, अग्रिम रूप से प्रत्येक मास के प्रारंभ में ऐसी धन राशि का संदाय करने का निदेश दे सकेगा जो न्यायालय ऐसे बालक के भरणपोषण के लिये प्रति मास उचित समझे किन्तु यह रकम कुल मिलाकर 50 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसी सभी वसूलियों को न्यायालय सरकार की प्रकीर्ण प्राप्ति के रूप में सरकारी खजाने में जमा करेगा।

(5) धारा 48 के अधीन अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाना :

(1) किसी प्रमाणित विद्यालय या योग्य व्यक्ति संस्था में निरुद्ध किये गए बालक को, अनुसूची "ग" में विहित शर्तों पर ही धारा 48 (2) के अधीन छोड़ा जायेगा, अन्यथा नहीं।

(2) प्रशासक के आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति पर किसी बालक के छोड़े जाने पर विद्यालय या संस्था द्वारा बालक के छोड़े जाने की वास्तविक तारीख की सूचना सुपुर्दगी कार न्यायालय को भेजी जाएगी।

(6) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए बालक किसी माता-पिता संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखे जा सकेंगे :—

(1) यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड किसी बालक को अधिनियम की धारा 16 (1) (21) (1) के अधीन माता-पिता, संरक्षक नातेदार या अन्य योग्य व्यक्ति की अभिरक्षा में सुपुर्द करने या उस की अभिरक्षा में किसी बालक के बने रहने का आदेश करने की बजाय उसे समुचित देख-रेख और नियंत्रण में रखने के लिये और उसके सदाचार के लिये उत्तरदायी होने के लिए ऐसे माता-पिता संरक्षक या नातेदार या अन्य योग्य व्यक्ति को अनुसूची 'क' में दिये गये प्ररूप में, प्रतिभू सहित या रहित और ऐसी धनराशि के लिये जो न्यायालय ठीक समझे पत्र पर ही निष्पादित करने का निदेश दे सकेगा। अनुसूची "क" के प्ररूप में विहित शर्तों के अतिरिक्त, न्यायालय ऐसी शर्तें भी अधिरोपित कर सकेगा जो वह यह सुनिश्चित करने के लिये उचित समझे कि बालक ईमानदार और परिश्रमी जीवन बिता सकें।

(2) जहां बालक को किसी परवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा गया है :—
वहां न्यायालय यह शर्त अधिरोपित कर सकेगा कि यथास्थिति माता-पिता नातेदार, संरक्षक या अन्य व्यक्ति द्वारा परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करने में उसे समर्थन बनाने के लिये सभी आवश्यक सहायता देगा।

(3) जहां किसी बालक को धारा 34 या 16 या 21 (1) (ख) के अधीन उसके स्वयं के बंधपत्र पर किसी नातेदार या योग्य व्यक्ति के पास उसके मूल स्थान पर वापस भेजे जाने का आदेश किया गया है वहां, यथास्थिति न्यायालय या बोर्ड अनुसूची "ख" में विहित प्ररूप में उससे बंधपत्र लेगा।

(7) प्रमाणित विद्यालयों के अंतःवासियों को अल्पकालिक अनुपस्थिति छुट्टी :—

(1) प्रमाणित विद्यालय या योग्यव्यक्ति संस्था का प्रबंधक उसके समाधानप्रद रूप में पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर किसी अंतःवासी को माता-पिता या नातेदार से मिलने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कुल मिलाकर 15 दिन से अनधिक की अल्पावधि के लिए जिसमें गंतव्य स्थान तक जाने और वहां से लौटने के लिये अपेक्षित समय सम्मिलित नहीं होगा, अनुपस्थिति रहने की लिखित रूप में अनुज्ञा दे सकेगा।

परन्तु जहां तक संभव हो कि एक समय में एक सप्ताह से अधिक की छुट्टी देते समय दादरा और नगर हवेली प्रशासन से पूर्व सहमति प्राप्त ही जायेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन दी गई अनुज्ञा प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में दिये गये आदेश द्वारा रद्द की जा सकेगी और वह इसके लिये कोई कारण बताए बिना अंतःवासी को वापस बुला सकेगा।

(3) किसी प्रमाणित विद्यालय या योग्य व्यक्ति संस्था के प्रबन्धकों द्वारा सिफारिश किये गये माता-पिता के आवेदन

पर सशक्त अधिकारी चुने हुए मामलों में, अंतः वासियों को प्रमाणित विद्यालयों या योग्य व्यक्ति संस्थाओं से एक बार में छह सप्ताह तक की छुट्टी दे सकता है। ऐसी अनुज्ञा सशक्त प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में किये गये आदेश द्वारा रद्द की जा सकेगी और वह उसके लिए कोई कारण बताए बिना अंतःवासी को वापस बुला सकेगा।

(4) ऐसे समय को जिसके दौरान अंतःवासी उपनियम (1) या (3) के अधीन विद्यालय या संस्था से अनुपस्थित रहता है विद्यालय या संस्था में उसके निरुद्ध रहने के समय का एक भाग माना जायेगा।

(5) यदि कोई अंतःवासी उपनियम (1) या (3) के अधीन अनुज्ञात अवधि की समाप्ति पर या उपनियम (2) या (3) के अधीन वापिस बुलाये जाने पर विद्यालय या संस्था में वापस नहीं आता है तो प्रबंधक सशक्त प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगा और कोई भी पुलिस आफिसर ऐसे प्रबन्धक या अधिकारी से लिखित रूप में आवेदन प्राप्त होने पर अंतःवासी को बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकेगा और उसे विद्यालय या संस्था को वापिस भेज सकेगा।

(6) ऐसे समय को जो उपनियम (5) के अधीन किसी अंतःवासी के विद्यालय या संस्था में वापिस न जाने के पश्चात् बीत गया है। विद्यालय या संस्था में उसके निरोध के समय की गणना करने में हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(7) धारा 50 (1) के अधीन न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन किसी प्रमाणित विद्यालय या किसी योग्य व्यक्ति संस्था में अपने बालक के भरणपोषण के लिये अभिदाय करने वाले किसी माता-पिता या संरक्षक को ऐसी अवधि के लिये जिसके दौरान बालक उपरोक्त उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन संस्था से अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभिदाय के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

(8) बालकों का अनुरक्षक :—

कोई बोर्ड या बालक न्यायालय अथवा धारा 7 के अधीन बोर्ड या बालक न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त कोई न्यायालय ऐसे किसी पुलिस आफिसर को जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो। उस बालक को जिसकी बाबत अधिनियम या नियमों के अधीन यथा स्थिति सुपुर्दगी अन्तरण या संप्रत्यावर्तन का आदेश या छुट्टी प्रदान करने वाला आदेश किया जाता है। अनुरक्षण देने के लिये निदेशक दे सकेगा।

(8) बालकों की आयु और शारीरिक तथा मानसिक स्थिति के बारे चिकित्सीय राय :

किसी बालक से संबंधित प्रत्येक मामले में न्यायालय उसकी आयु और मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सकीय राय प्राप्त करेगा और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय चिकित्सकीय राय और ऐसे अन्य साक्ष्य जो उपलब्ध हो सकें, पर विचार करने के पश्चात उसकी आयु के संबंध में निष्कर्ष करेगा।

(9) न्यायालयों द्वारा बालकों के संबन्ध में जानकारी दिया जाना :—

जब कभी न्यायालय किसी बालक को किसी प्रमाणित विद्यालय या योग्य व्यक्ति संस्था में विरुद्ध किये जाने के लिये आदेश करता है तो वह अपने निर्णय की यदि कोई हो या आदेश की एक प्रति तथा बालक की आयु और पूर्व रिकार्ड की जो पता चल सकें, विशिष्टियों ऐसे विद्यालय या संस्था के प्रबन्धकों को भेजेगा।

(10) वह स्थान दिन और समय जिसको और वह रीति जिससे सक्षम प्रधिकारी अपनी बैठकें कर सकेगा और वह प्रक्रिया जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा पालन किया जायेगा और खतरनाक बीमारी या मानसिक व्याधि से पीड़ित बालकों के संबन्ध में कार्यवाही करने की रीति वही होगी जो राज्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गुजरात राज्य के संबन्धित प्रधिकारी द्वारा जहां तक इस का संबन्ध दादरा और नगर हवेली के बालकों से है, विहित अनुसरण किया जाता है।

प्रशासक के आदेश से
एन० कृष्णा स्वामी, प्रशासक के सचिव
दादरा एंव नगर हवेली प्रशासन, सिलवास

"अनुसूची क"

माता-पिता, संरक्षक, नातेदार या योग्य व्यक्ति द्वारा जिसकी देखरेख मे कोई बालक या किशोर अपराधी को सुपुर्द किया जाना है, निष्पादित किये जाने वाले बंधपत्र का प्ररूप

(नियम देखिए)

मैं ——————————————————जो माता पिता, संरक्षक, नातेदार या वह व्यक्ति हूं जिसकी अभिरक्षा में, जिसको किशोर न्यायालय, मजिस्ट्रेट —————————— ने देखरेख करते रहने के लिए अनुज्ञात/सुपुर्द दिये जाने के लिये आदेश किया है, और मुझे उक्त किशोर न्यायालय/ मजिस्ट्रेट ——————————————————ने एक प्रतिभू/दो प्रतिभूओं सहित —————————————— रुपये (——————————————रुपये) का बंधपत्र निष्पादित करने का निदेश किया है। मैं उक्त —— ——————————————————जिसे मेरे अभिरक्षा में बने रहने के लिये अनुज्ञात किया गया है। मेरी देखरेख मे सुपुर्द किया गया है, के प्रति अपने को आबद्ध करता है कि मैं उक्त ——————————————————की समुचित रूप से देखरेख करूंगा और मै इस बात के लिये भी स्वयं को आबद्ध करता हूं कि मै उक्त —————————— के समाचार के लिये उत्तरदायी रहूंगा और तारीख ——————————————————————————से प्रारम्भ होने के लिये वाली ——————————————————वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन करूंगा अर्थात

(1) मैं परिवीक्षा अधिकारी के मार्फत न्यायालय को लिखित रूप में पूर्व सूचना दिये बिना अपना निवास-स्थान नहीं बदलूंगा।

(2) मैं, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना उक्त ——————————को न्यायालय की अधिकारिता की परिसीमा में नहीं हटाऊंगा।

(3) मैं उक्त ——————————को प्रतिदिन विद्यालय/ऐसे दैनिक कार्य पर जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाये, जब तक भेजूंगा जब तक कि मेरे नियंत्रण से परे परिस्थितियां मुझे ऐसा करने से न रोकें।

(4) मैं परिवीक्षा अधिकारी की मार्फत न्यायालय को उस दशा में तुरन्त रिपोर्ट करूंगा जब उक्त —————— कदाचार करता है या अभिरक्षा से बच निकलता है।

(5) जब भी न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाये, मैं उक्त ——————————को न्यायालय के समक्ष पेश करूंगा।

(6) मैं परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिये सभी आवश्यक सहायता दूंगा।

(7)

(8)

(9)

(10) मेरे द्वारा व्यतिक्रम किये जाने की दशा में, मैं ——————————प्रयोजनों के लिये ———— ——————————रकम लिखिये (रुपये) सरकार को समपहृत करने के लिये आबद्ध हूं।

तारीख ——————————

(——————————रुपये)

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

(हस्ताक्षर) ——————

बंध पत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर जहां बंधपत्र प्रतिभूओं सहित निष्पादित किया जाना है वहां निम्नलिखित जोड़िये।

मैं/(हम ——————————जो—————— जिले के तालूका अपने को प्रतिभू घोषित करता हूं/करते है कि वह ऐसा सभी करेगा और उन सभी का पालन करेगा जिसको करने और जिसका पालन करने के लिये वह बचनबद्ध है और उसके द्वारा उसमें व्यतिक्रम किये जाने की दशा में, मैं/हम इसके द्वारा राज्य के प्रयोजनों के लिये सरकार को ——————————रु० —————— रुपये की रकम समपहृत करने के लिए स्वयं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग आबद्ध करता हूं/करते हैं।

तारीख ——————————

निम्नलिखित की उपस्थिति में मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये।

(1)

(2)

(हस्ताक्षर)

"अनुसूची ख"

ऐसे बालक या किशोर अपराधी द्वारा जिसे संप्रत्यावर्तित किया गया है या उसके निवास-स्थान पर किसी नातेदार या योग्य व्यक्ति के पास भेजा गया है, हस्ताक्षर किये जाने वाला बंधपत्र।

नियम (देखिए)

मैं —————————— जो —————————— का निवासी हूं, मुझे इसमें इसके नीचे वर्णित शर्तों का पालन करने के लिये बंधपत्र पर करार करने पर बालक अधिनियम, 1960 की धारा ——————————की उपधारा ——————————के अधीन —————— के किशोर न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा मेरे निवास स्थान को संप्रत्यावर्तित किया गया है या वापस भेजा गया है।

अतः मैं सत्यनिष्ठा से बचन देता हूं कि मैं न्यायालय द्वारा किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करूंगा।

मैं निम्नलिखित रूप में स्वयं को आबद्ध करता हूं।

(1) ——————————अवधि के दौरान में ——————————को जो ऐसे नातेदार या योग्य व्यक्ति ——————————का जिसको मुझे संप्रत्यावर्तित किया गया है या भेजा गया है, स्थान है, नहीं छोड़ूंगा और मैं —————————— का वापस नहीं जाऊंगा या अन्यत्र या अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा।

(2) मैं उक्त अवधि के दौरान उस स्थान के जहां मुझे संप्रत्यावर्तित किया गया है या भेजा गया है कार्य पर/विद्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा।

(3) मैं सदाचार बरतूंगा और इस बंधपत्र में अधिकथित तथा मेरे द्वारा स्वीकार की गई शर्तों का किसी भी रूप में कोई भंग नहीं करूंगा।

(4) मैं आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विशेष रूप से निम्नलिखित शर्तों का पालन करूंगा।

(क) उस नातेदार या योग्य व्यक्ति के जिसको मुझे संप्रत्यावर्तित किया गया है या भेजा गया है या

आदेश में यथानामित जिसकी देख-रेख और अभिरक्षा में मुझे सौंपा गया है, मार्गदर्शन और सहायता को स्वीकार करूंगा और उक्त व्यक्तियों द्वारा सहायता को स्वीकार करूंगा और उक्त व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर मुझे दिये गये निदेशों का पालन करूंगा।

(ख) ऐसे गृह, विद्यालय, कार्य या स्थान से जिसको मुझे संप्रत्यावर्तित किया गया है या भेजा गया है, नहीं भागूंगा।

(ग) मैं इमानदारी से और शांति से रहूंगा और मैं सद्भावपूर्वक जीविका उपर्जित करने का प्रयास करूंगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित उपस्थित होऊंगा और प्राधिकारियों की आज्ञा का पालन करूंगा और नातेदार या योग्य व्यक्ति की जिनको मुझे संप्रत्यावर्तित किया गया है या भेजा गया है, अनुज्ञा के बिना अपना रोजगार/विद्यालय नहीं बदलूंगा।

मैं, ऊपर विनिर्दिष्ट किसी शर्त का पालन करने में व्यक्तिक्रम करने की दशा में, न्यायालय के समक्ष पुनः उपस्थित होने पर, ऐसे आदेश प्राप्त करूंगा जो न्यायालय उचित समझे।

————————के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा,

"अनसूची—ग"

अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के आदेश का प्ररूप

मैं ————————————इस अनुज्ञप्ति / अनुज्ञापत्र द्वारा ————————————के पुत्र / की पुत्री ————————————जाति ————————निवासी ———————————— संख्यांक ————————————को जिसे ————————————न्यायालय द्वारा 19 ————————के ————————दिन ————————————अवधि के लिये बालक अधिनियम, 1960 की धारा ————————के अधीन प्रमाणित विद्यालय में निरुद्ध किये जाने के लिये आदेश किया गया था और जिसे इस समय———————— स्थित विद्यालय में निरुद्ध किया गया है, इस शर्त पर उक्त विद्यालय से उन्मोचित किये जाने के लिये अनुज्ञात करता हूं कि वह निरोध को पूर्वोक्त अवधि के शेष भाग के दौरान सचिव, सोसाईटी, सलाहकार बोर्ड ————————के पर्यवेक्षण और प्राधिकार के अधीन रखा जायेगा / रखी जायेगी।

या अनुज्ञप्ति, इस पर पृष्ठांकित शर्तों के अधीन रहते हुये, अनुदान की जाती है। इनमें से किसी के भंग होने पर यह अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जा सकती है।

तारीख ———————————— ( )

शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारी ————————————को जायेगा और जब तक उसके निरोध की आवधि समाप्त नहीं हो जाती और जब तक कि उसकी छूट समयपूर्व रद्द नहीं कर दी जाती, वह सचिव, सोसाईटी, सलाहकार बोर्ड ———— के पर्यवेक्षण और प्राधिकार के अधीन रहेगा / रहेगी।

(2) वह उक्त सचिव, सोसाईटी, सलाहकार बोर्ड की सहमति के बिना, अपने को उस स्थान से या किसी अन्य स्थान से जिसे उक्त सचिव, सोसाइटी सलाहकार बोर्ड नामित करे, नहीं हटायेगा/हटायेगी।

(3) वह ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा / करेगी जो वह उक्त सचिव सोसाइटी सलाहकार बोर्ड से रोजगार पर या अन्यथा समय पर और नियमित रूप उपस्थित होने के संबन्ध में, प्राप्त करें।

(4) वह कोई अपराध नहीं करेगा और सचिव, सोसाइटी सलाहकार बोर्ड को समाधानप्रद रूप में शिष्ट और परिश्रमी जीवन बितायेगा।

(5) ×

(6) उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी के भंग किये जाने की दशा में, इसके द्वारा निरोध की अवधि में अनुवत्त कूट को रद्द किया जा सकेगा और ऐसे रदकरण पर उसके साथ बालक अधिनियम, 1960 गी धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

मैं अभिस्वीकार करता हूं कि में उपरोक्त शर्तों से अवगत हूं जिन्हें मुझे पढ़ कर सुनाया गया है/स्पष्ट किया गया है और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं।

(अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर और निशानी)
(अंगूठा)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें ————————————(नाम) को पढ़ कर सुनाई गई / स्पष्ट की गई और उसने उन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया है जिस पर उसे निरोध की अवधि में छूट दी गई है और तद्नुसार उसे ———————— को छोड़ा जाता है।

प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी,
(अर्थात विद्यालय के अधीक्षक)
के हस्ताक्षर और पदनाम

द्वारा अधिरोपित की जाने वाली अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों,

यहां ————————————जा सकती हैं।

UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI
ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI

Silvassa, the 21st January 1981

No. ADM/LAW/299/(7)/(2)/81.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 (No. LXV of 1958), as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli the administrator, Dadra and Nagar Haveli hereby makes the following amendment in the Administration Notification No. ADM/LAW/223, dated 27-9-1972, namely;

1. In Part-I of the schedule attached to the said notification, after the words "Rs. 400/- plus Rs. 32/-" appearing in column 2 of entry (c)(ii) in column 1 under the heading A IV-Motor Vehicles (including tricycles) etc. the words "for each passenger" shall be inserted.

2. The amendment shall be effective from the date of this notification

By order of the Administrator
N. KRISHNASWAMY, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981